न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.123 / प्रा.पत्र / 2023	07.08.2023	25.03.2025
(GCMS No. 2023 / 178)		

1. राजवीर जाट आ. अर्जुनलाल चौधरी नि. दौलतपुरा, तह. बून्दी
2. बहादूर बंजारा आ. भैरू नि.बंजारा बस्ती, दौलतपुरा, तह. बून्दी
3. करण बंजारा आ. जीया नि.बंजारा बस्ती, दौलतपुरा, तह. बून्दी
4. मोहन बंजारा आ. महावीर नि.बंजारा बस्ती, दौलतपुरा, तह. बून्दी
5. राजू मीणा आ. मोहनलाल निवासी कांजरी सिलोर, तह. बून्दी
6. रणजीत चौधरी आ. अमृतलाल जाट नि. दौलतपुरा, तह. बून्दी
7. बजरंगलाल मीणा आ.देवीराम निवासी कांजरी सिलोर, तह. बून्दी
8. प्रकाश बैरागी (पुजारी) आ. मांगीलाल जाति बैरागी
   निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनारायण आ.गेन्दया जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तह.बून्दी
   हाल नयाखेडा, जिला कोटा।
2. श्रीमती कमलीबाई पत्नी हीरा बंजारा नि0 बंजारों का टापरा,
   रामनगर, तहसील एवं जिला बून्दीं
3. तहसीलदार बून्दी।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री राजकुमार गोयल एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री नवेद केसर लखपति, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 134/आवंटन/1983 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 210 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम दौलतपुरा आवंटन आदेश दिनांक 15.01.1983 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 123/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2023/178 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि सिवायचक भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम दौलतपुरा में बरडा का बालाजी करीब 300 वर्षो से बालाजी की प्रतिमा बिराजमान है, जहां पर बालाजी का मंदिर बना हुआ है जब से ही वहां लगातार सेवा पूजा होती आ रही है। बालाजी मंदिर परिसर में महादेव जी का मंदिर, सगस जी महाराज का मंदिर, रामजानकी मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर, शनिदेव का मंदिर स्थापित है तथा तिबारिया, टीनशेड, बाग, हॉल, कुंआ, बोरिंग इतने ही वर्षो से बने हुये है। जिसमें ग्रामवासी एवं बून्दी शहर व अन्य जगहों के निवासी भक्तजन चमत्कारिक बालाजी के रोजाना दर्शन करने वहां आते रहते है। जहां नित्य सेवा पूजा होती है तथा रसोइयां इत्यादि होती रहती है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा ग्राम दौलतपुरा में कभी निवास नहीं किया है और न ही भूमि खसरा सं. 210 को काश्त किया है। उक्त भूमि में शुरू से ही बालाजी का मंदिर बना हुआ है। इसके उपरान्त भी बिना कब्जे के बिना काश्त किए ही अप्रार्थी सं.1 द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर खसरा सं. 210 रकबा 5 बीघा भूमि का स्वयं के नाम दिनांक 15.01.1983 को आवंटन करवा लिया गया और आवंटन अधिकारी द्वारा बिना कब्जे की जांच किए आवंटन के बाद बालाजी के मंदिर की उक्त भूमि अप्रार्थी सं.1 के नाम रेकार्ड में दर्ज कर दी गई, जिससे उक्त भूमि खसरा सं. 279/210 रकबा 5 बीघा पर अप्रार्थी सं. 1 के गैर खातेदारी में दर्ज हो गई। तत्पश्चात 30 वर्ष बाद अप्रार्थी सं.1 व अप्रार्थी सं.3 द्वारा मिलीभगत कर उक्त भूमि को बिना कब्जा काश्त के गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा लिया गया तथा तत्काल ही अप्रार्थी सं.1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.04.

जिला कलेक्टर, बून्दी

2013 को उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 2 को विकय कर दिया गया। उक्त भूमि अप्रार्थी सं.1 के कभी भी कब्जे में नहीं रहने से विकय पत्र के माध्यम से अप्रार्थी सं. 2 को भूमि का कब्जा नहीं संभलाया गया। इसलिए बिना कब्जा काश्त के अप्रार्थी सं. 2 को उक्त भूमि पर विकय पत्र से किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी। वैसे भी उक्त आवंटन अवैध व शून्य है जिसको निरस्त कराने की कोई कानूनन मियाद नहीं है फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न पेश किया है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आरआरडी 1989 पृष्ठ सं. 45, आरआरडी 1990 पृष्ठ सं. 29, आरआरडी 2002 पृष्ठ सं. 1, आरआरडी 1990 पृष्ठ सं. 465, आरआरडी 2001 पृष्ठ सं.142 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि के आवंटन दिनांक 15.01.1983 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.1 को आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम रामनगर द्वारा दिनांक 15.01.1983 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया। आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 40 वर्ष गुजर जाने के बाद आवेदन करना उचित नहीं है, प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर देवी देवताओ के मंदिर होना बताया है, किन्तु इस संबंध में ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त भूमि देवस्थान विभाग, डोहली या मंदिर मूर्ति की भूमि की होना साबित हो सके। जबकि वक्त आवंटन उक्त भूमि खसरा संख्या 210 सिवायचक किस्म बंजड़ थी तथा अप्रार्थी सं.1 उक्त 5 बीघा भूमि पर पहले से ही ट्रेसपासर दर्ज था। इस कारण अप्रार्थी सं.1 को आवंटन का पात्र मानते हुये आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया जाकर आवंटी को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना किये जाने से सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी अप्रार्थी सं.1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। खातेदार अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपने खाते की उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 2 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.04.2013 से बेचान किया जाकर कब्जा संभला दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 उक्त भूमि का सदभावी केता है। रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्राप्त खातेदारी अधिकारों को आवंटी के विरूद्ध प्रस्तुत आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि रामनारायण आ. गोपाल गूजर निवासी ग्राम दौलतपुरा को पत्रावली सं.134/आवंटन/1983 पर दिनांक 15.01.1983 को भूमि ख.सं. 210 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम दौलतपुरा हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में आवंटी रामनारायण जर्ये नामा.सं. 267 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2013 के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी खसरा सं. 279/210 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम दौलतपुरा के खातेदार रामनारायण गूजर निवासी दौलतपुरा द्वारा उक्त भूमि श्रीमती कमली पत्नी हीरा जाति बंजारा निवासी बंजारों का टापरा, रामनगर, तहसील व जिला बून्दी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान की गई। विक्रय पत्र में बेचान की गई भूमि का कब्जा क्रेता को संभला दिया जाना अंकित है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं.1 रामनारायण को किये गये उक्त आवंटन दिनांक 15.01.1983 को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2023 को 40 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर बालाजी का प्राचीन मंदिर होना बताया है, किन्तु उक्त मंदिर भूमि आवंटन से पूर्व बना हुआ था ? प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं पाये गये।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी रामनारायण गूजर को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आवंटित भूमि खातेदार से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता श्रीमती कमली पत्नी हीरा जाति बंजारा को अन्तरित हो चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं.2 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थी सं.2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त खातेदारी अधिकारों को आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कार्यवाही में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भूमि आवंटन नियम 14(4) एल.आर.एक्ट के तहत यह कार्यवाही खातेदार के विरूद्ध पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में वादग्रस्त भूमि की मौका जांच की जावे, यदि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है तो रेफरेंस की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी